

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय— डा0 (श्रीमती) रेणु सिंह, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुओं, पटना को पेंशन, उपदान एव पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बध मे कहना है कि डा0 (श्रीमती) रेणु सिंह, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुओं, पटना को वार्षिक सेवा निवृत्ति के पश्चात उन्हें अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं पेंशन रूपान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । डा0 (श्रीमती) रेणु सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2024 है ।

2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश मे आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 (श्रीमती) रेणु सिंह से की जाएगी ।

3) इस पत्र के साथ सलग्न अनुलग्नक—

(क) पेन्शन—प्रपत्र 4 की दो प्रति ।

(ख) सयुक्त फोटो ।

(ग) हरताक्षर का नमूना ।

(घ) पारिवारिक सदस्यों की सूची ।

(ङ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका ।

(व) अंतिम वेतन प्रमाण—पत्र ।

(छ) वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दीर्घकालीन बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(ज) आवास बकाया रहित प्रमाण पत्र ।

(झ) अंतिम पदस्थापन स्थल से निर्गत बाकाया रहित प्रमाण पत्र ।

4) अनुरोध है कि सभी बकायों के सबध मे अपने स्तर से पूर्णतः सतुष्ट हो लेने के उपरान्त ही प्राधिकार—पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/—

(शैलेश कुमार)

ज्ञापक

438(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक

28/7/25

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 (श्रीमती) रेणु सिंह, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अगमकुओं, पटना, पत्राचार का पता—पत्राचार का पता—पति डा0 प्रमोद कुमार सिंह, श्रीनिकेत रोड नं0-05ए, डाकघर—राजेन्द्र नगर, थाना—बहादुरपुर, जिला—पटना, पिन—800016, मो0 नं0 9835063457 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव